न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 163/2020 **दायर दिनांकः 13/10/2020**

उनवान

1. धर्मराज आयु 40 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी अचरांवा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

अप्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 14/12/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज) में खाता सं. 630 की ख. नं. 2957/350 का रकबा 0.24 है0 किस्म नहरी 2 कुल किता 1 का रकबा 0.24 है० प्रार्थी के दर्ज खाता चली आ रही है। उक्त आराजी को प्रार्थी के पूर्वज भी कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 एवं नक्शा ट्रेस फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज) में खाता सं. 1 का ख. नं. 344 का रकबा 0.03 है० किस्म बंजड अप्रार्थी क्रम 1 राजस्थान सरकार के खाते दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी अपने कब्जे व स्वामित्व की आराजी खाता सं. 630 की ख. नं. 2957/350 का रकबा 0.24 है0 किस्म नहरी 2 कुल किता 1 का रकबा 0.24 है० आराजी पर हमेशा से अपने पूर्वजों के समय से ही आने—जाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्राली व अन्य कृषि यंत्र लाने—लेजाने व पैदल आने—जाने के लिए ख. नं. 344 का रकबा 0.03 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.14 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested

किस्म बंजड भूमि में से बनी उत्तर से दक्षिण लगभग 30 फिट चौडा आम रास्ते से ही आज दिन तक बिना रोक टोक के आते जाते रहे हैं तथा प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्य भी अपने खेतों पर हमेशा से ही बिना रोक टोक के इसी आम रास्ते से आने–जाने, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्राली व अन्य कृषि यंत्र लाने–लेजाने व पैदल आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही। अप्रार्थी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैघ रुप से प्रार्थी के खेत ख, नं. 2957/350 का रकबा 0.24 है० आराजी पर आने–जाने के लिए बैलगाडी, ट्रेक्टर, ट्राली व अन्य कषि यंत्र लाने–लेजाने व पैदल आने–जाने के लिए बने आम रास्ते को बंद कर दिया हैं। जो कि नक्शा ट्रेस में आम रास्ते को ए से बी स्थान में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण प्रथम बार दिनांक 2.10.2020 को व अन्तिम बार दिनांक 10.10.2020 को बाबत आम रास्ते के लिए प्रार्थी ने अपने खेत ख. नं. 2957/350 का रकबा 0.24 है० पर आने–जाने के लिए अप्रार्थी से निवेदन किया गया तो अप्रार्थी द्वारा साफ मना कर दिया इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में उत्पन्न हुआ। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीक्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैघानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। यदि अप्रार्थी क्रम । उसके अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया और प्रार्थी की आराजी पर आने–जाने का रास्ता बन्द हो जावेगा तो प्रार्थी को अपने काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। वह प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने का रास्ता बंद नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें, न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें तथा प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। विवादग्रस्त आराजी ग्राम माल बडोरा तह अटरू जिला बारां राज० में स्थित होने सें माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने की वजह से वाद पत्र में राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरु को अप्रार्थी क्र. 1 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट तृतीय परिशिष्ट के मूताबिक उचित न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र हाजा पेश है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.14 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में ख. नं. 344 में प्रदर्शित ए से बी स्थान पर लाल स्याही से बने उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 30 फिट चौड़े आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र व मौके की रिपोर्ट पेश की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि 1. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में जिस तरह से लिखा गया है, स्वीकार है। 2. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में जिस तरह से लिखा गया है अस्वीकार है। यह भूमि खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार के खसरा नम्बर 344 रकबा 0.03 है० किस्म बंजड दर्ज है। 3. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार है यह सही है कि ग्राम बडौरा की आराजी खाता संख्या 630 की खसरा नम्बर 2957/350 का रकबा 0.24 है० किस्म नहरी द्वितीय दर्ज है। उक्त आराजी के सामने खसरा नम्बर 344 रकबा 0.03 किस्म बंजड़ खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार के खाते दर्ज है। जो प्रार्थी की आराजी के सामने की ओर स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से अपनी आराजी पर आने–जाने एवं देखरेख हेतु 30 फीट चोडा रास्ता चाहा गया है। श्रीमान द्वारा नियमानुसार रास्ता आंवटित किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ती नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नही है, मौके पर खाली पडी हुई है। 4. कानूनी है। 5. न्यायालय से संबधित है। कानूनी है। 6. कानूनी है। 7. कानूनी है । 8. कानूनी है।

तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई, प्रार्थी धर्मराज नागर पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ के ग्राम बडौरा के ख0नं0 2957/350 रकबा 0.24 है0 में खाते दर्ज है। जिसके आगे ख0नं0 344 रकबा 0.30 है0 किस्म बंजड दर्ज है जिसमें से प्रार्थी अपने खेत पर आने जाने के लिये 35×4=140 वर्ग मीटर का रास्ता चाह रहा है। जिसका प्रार्थी से नियमानुसार राशि वसूल कर रास्ता दिया जाना उचित होगा।

अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आराजी ग्राम बडौरा की खाता संख्या 630 ख0नं0 2957/350 रकबा 0.24 है0 प्रार्थी के खाते दर्ज है। प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर ख0नं0 344 रकबा 0.03 है0 किस्म बंजड़ में से आता जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.14 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested

जो खाता सरकार दर्ज है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सुविधा जनक नही है। प्रार्थी ख0नं0 344 रकबा 0.03 है0 में से 30×4=120 वर्ग मीटर रास्ता चाहता है। लेकिन धारा 251(क) के अधीन अधिकतम 30 फीट तक ही रास्ता दिया जा सकता है। भूमि सरकारी होने से प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराने हेतु सहमत है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि ग्राम बडौरा की खाता संख्या 630 ख0नं0 2957/350 रकबा 0.24 है0 पर आने जाने हेतु ख0नं0 344 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0 मु0 बंजड़ खाता सरकार में से 30 फीट(FEET) चौड़ा व 4 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू डी0एल0सी0 का दुगना राजकोष में जमा करवाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.14 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested